रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2011/माघ 12, 1932

No. 172] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2011/MAGHA 12, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2011

का.आ. 212(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 कहा जाए ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में, -

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"111. मैसर्स चामुण्डा पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड, धीरखेडा औद्योगिक क्षेत्र, मेरठ रोड, हापुड-245101 उत्तर प्रदेश राज्य ।"

[फा. सं. 4(2)/2010-कागज]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के आदेश सं. का.आ. 3050(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 28th January, 2011

S.O. 212(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S.No. 110 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

"111. M/s. Chamunda Papers Private Limited, Dheerkhera Industrial Estate Meerut Road, Hapur-245101 in the State of Uttar Pradesh."

[F. No. 4 (2)/2010-Paper]

TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended *vide* Order No. S.O. 3050(E), dated 23rd January, 2011 published in the Gazette of India.

346 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.